

कर्मल सोफिया पर टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली मंत्री विजय शाह को

मंत्री विजय शाह ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एफआईआर दर्ज करने के आदेश को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी

नयी दिल्ली, 15 मई। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय सेना की कर्मल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की ओर से की गई अपमानजनक टिप्पणियों के मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम राहत देने से गुरुवार को इनकार कर दिया और कहा कि इस मामले पर शक्रवार को सुनवाई की जायेगी।

उच्च न्यायालय ने मंत्री की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लेकर राज्य सरकार को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिया था। शाह की ओर से उसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी है। शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश

■ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश रद्द करने से मना कर दिया, मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी।

■ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद विजय शाह के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

बी आर गवई और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की पीठ ने आज इस याचिका का उल्लेख किए जाने पर कहा कि मंत्री शाह ने ऐसी टिप्पणी की है जो गैर-जिम्मेदाराना है।

न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंत्री के खिलाफ मुकदमा दायर करने के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर तत्काल रोक लगाने के आग्रह को अस्वीकार कर दिया और कहा कि वह इस मामले

में कल सुनवाई करेगी।

याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी पर रोक लगाने की मांग की थी।

मंत्री शाह की अधिवक्ता विभा दत्ता मखीजा ने पीठ के समक्ष कहा, उन्होंने (शाह) अपनी टिप्पणियों को लेकर पश्चाताप व्यक्त किया है। उन्हें गलत समझा गया है...मीडिया ने उसे बद् 1-चद् 1कर पेश किया है। हम

मुकदमा – दर्ज करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हैं।

लेकिप पीठ ने कहा कि शाह के एक मंत्री हैं। इस नाते उनकी टिप्पणी बेहद गैर-जिम्मेदाराना थी। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसे समय गैर-जिम्मेदारी से नहीं बोलना चाहिए...जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है। पता होना (शाह को) चाहिए कि वह क्या कह रहे हैं।...

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा हैं कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मंत्री के खिलाफ कार्यवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

अदालती आदेश का पालन करते हुए पुलिस ने बुधवार शाम को शाह के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया था।

‘मैंने मध्यस्थता नहीं की बस मदद की’

दोहा, 15 मई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सीज फायर पर अपने पुराने बयान से यू टर्न ले लिया है। भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पर अपनी भूमिका को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भले ही मध्यस्थता नहीं की लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव को शांत करने में मदद की।

■ भारत पाक सीजफायर पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यू टर्न लिया। उन्होंने दोहा में एक भाषण के दौरान यह टिप्पणी की।

ट्रंप ने गुरुवार को अपने बयान में कहा कि वह सीधे तौर पर यह नहीं कहना चाहते कि उन्होंने मध्यस्थता की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कतर के दोहा से यह बात कही है। दोहा में ट्रंप ने अपने एक भाषण में कहा 'मैं यह नहीं कहना चाहता कि मैंने ऐसा किया, लेकिन मैंने पिछले सप्ताह पाकिस्तान और भारत के बीच समस्या को सुलझाने में निश्चित रूप से मदद की।

‘एफआईआर का कंटैन्ट ऐसा है कि तुरंत निरस्त हो जाए’

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर सवाल उठाए

■ मंत्री विजय शाह ने कर्मल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिस पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे।

युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि यह उल्लेख करना आवश्यक है कि कर्मल सोफिया कुरैशी विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ, मीडिया और राष्ट्र को पाकिस्तान के खिलाफ हमारे सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की प्रगति के बारे में जानकारी देने वाले सशस्त्र बलों का चेहरा थी। मंत्री ने कर्मल सोफिया कुरैशी की, जो किसी और के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए ही हो सकती है। सार्वजनिक समारोह में उन्होंने कर्मल सोफिया कुरैशी को पहलगाय में 26 निर्दोष भारतीयों की हत्या करने वाले आतंकवादियों की बहन बताया है। उनकी यह टिप्पणी संबंधित

अधिकारी के लिए, बल्कि सशस्त्र बलों के लिए भी अपमानजनक और खतरनाक है। बयान प्रथम दृष्टया मुस्लिम धर्म के सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के बीच वैमनस्य और दुश्मनी या घृणा या दुर्भावना पैदा करने की प्रवृत्ति वाला है। युगलपीठ ने आदेश में कहा है कि बी.एन.एस. के विभिन्न प्रावधानों के अवलोकन के आधार पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया जाता है कि मंत्री विजय शाह के विरुद्ध गुरुवार शाम तक आवश्यक तौर पर आदेशानुसार एफआईआर दर्ज करें। आदेश का पालन नहीं होने पर उनके खिलाफ अवमानना के लिए कार्यवाई करने पर विचार किया जा सकता है।

26 तक एसआई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। वहीं, मामले में गठित छह मंत्रियों की कमेटी की गत 13 मई को बैठक होनी थी, जिसमें भर्ती को लेकर निर्णय होना था। भारत-पाक तनाव को देखते हुए इनमें से सिर्फ दो मंत्री बैठक में आए और तीन अन्य मंत्री प्रभारी जिलों के दौरे पर होने के चलते बैठक में नहीं आए। वहीं, एक मंत्री स्वास्थ्य कारणों के चलते बैठक में शामिल नहीं हुए। ऐसे में यह बैठक 21 मई को करना तय किया गया। इसलिए अदालती आदेश की पालना के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाए। इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ताओं के वकील हरेंद्र नील ने कहा कि फरवरी माह से राज्य सरकार को अब तक तीन माह का समय मिल चुका है। भर्ती में एसडीएम स्तर के अफसर की भूमिका भी सामने आई है। ऐसे में भर्ती को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को अंतिम अवसर देते हुए कहा है कि यदि आगामी सुनवाई पर भर्ती के संबंध में निर्णय लेकर अदालत को नहीं बताया गया तो संबंधित अधिकारी इसका परिणाम भुगत सकते हैं और उस समय अदालत अपने स्तर पर आदेश पारित करेगी।

‘किराना हिल्स से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के दौरान एक सवाल का जवाब नहीं दिया। ऑपईंडिया के एक लेख में भी ऐसी अपुष्ट रिपोर्टों का उल्लेख था कि मिश्र का एक विमान, बोरोन, जो रेंडियोऐक्टिव विकिरण को रोकने के काम आने वाला पदार्थ होता है, लेकर आया तथा उसे पाकिस्तान की म्यूरी के आसपास देखा गया था।

सोशल मीडिया पर ऐसे दावों की बाढ़ आई हुई है कि भारतीय मिसाइलों ने किराना की न्यूक्लियर हथियारों की स्टोरेज फेसिलिटी पर हमला किया था।

इन दावों के साथ, उस क्षेत्र की मिसाइल हमले से पहले की, और बाद की तस्वीरें भी पोस्ट की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर किये जा रहे कुछ दावों में कुछ मीम्स साझा की जा रही हैं, जो कह रही हैं कि भारत की स्टाइक "एक चेतावनी प्रहार था, जिससे घबराकर पड़ोसी देश युद्ध विराम के लिये गिड़गिड़ाने लगा।

प्रेस को दिये गये एक बयान में,

आईईएफ के प्रवक्ता फ्रेड्रिक डहल ने कहा: "हमें रिपोर्ट्स की जानकारी है। आईईएफ के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, पाकिस्तान की किसी न्यूक्लियर फेसिलिटी से कोई रेंडिएशन लीक /रिलीज नहीं हुआ है।"

आईईएफ का "ईसिडेन्स एण्ड इमर्जेंसी सेन्टर", जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी, रेंडिएशन की घटनाओं और आपात स्थिति में तुरंत सक्रिय होने तथा आपातकालीन तैयारी में अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के समन्वय के लिये प्राथमिक हब का कार्य करता है।

प्रसंगवश बता दें कि एयर मार्शल ए.के. भारती ने इस बात की पुष्टि पहले ही कर दी थी कि भारत ने किराना हिल्स पर हमला नहीं किया। एयर मार्शल भारती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, "हमें यह बताने के लिये आपका शुक्रिया कि किराना हिल्स पर कुछ न्यूक्लियर इन्स्टालेशन हैं। हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी।"

जज 100 किलोमीटर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भेजकर पीड़िता को राहत दिलाने के निर्देश दिए।

प्राधिकरण के आदेश की पालना में पवन जीनवाल अस्पताल पहुंचे। जीनवाल ने अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट और बाल अधिकारिता विभाग के आदेशों की याद दिलाई। जज को मौके पर आया देखकर पीड़िता का सुरक्षित गर्भपात कराया गया। वहीं, प्राधिकरण सचिव ने अस्पताल प्रशासन को भविष्य में ऐसे संवेदनशील मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की सख्त हिदायत दी। प्राधिकरण सचिव पवन जीनवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, 24 सप्ताह तक के गर्भपात की अनुमति है। वहीं, बाल अधिकारिता विभाग के एक फरवरी, 2024 के निर्णय के अनुसार, 20 सप्ताह के गर्भपात के लिए नाबालिग के अभिभावकों के आवेदन पर कोई भी पंजीकृत चिकित्सक कार्यवाई कर सकता है। वहीं, यदि 24 सप्ताह से अधिक का गर्भ है तो उसके लिए हाईकोर्ट से अनुमति लेनी होती है। इस मामले में पीड़िता के सिर्फ 13 सप्ताह का गर्भ था। इसके बावजूद, चिकित्सक उन्हें परेशान कर रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्रि के निर्देश पर उनकी ओर से सौ किलोमीटर दूर आकर यह कार्यवाई की गई।

लड़ाई केरल के मुख्यमंत्री के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और पार्टी के नेतृत्व ने पहलगाम हमले के बाद किया था।

केरल के एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि जयराम रमेश अपनी नौकरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वेणुगोपाल को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

शशि थरूर भारी दुविधा में हैं। वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में नहीं जाना चाहते, लेकिन उन्हें लग रहा है कि के.सी. वेणुगोपाल उन्हें कांग्रेस से बाहर करने पर आमादा हैं।

‘भारत अमेरिका से आयातित...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर अपने टैरिफ को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। वर्तमान में इन टैरिफ्स को और अधिक संतुलित करने पर बातचीत चल रही है।

वर्तमान में भारत का अमेरिका के साथ 45 बिलियन डॉलर ट्रेड सरप्लस है। ट्रंप का हमसा

और राहुल गांधी इतने प्रभावित हैं के सी. वेणुगोपाल से कि उन्हें असल मुद्दे दिखाई ही नहीं देते। उन्हें दिख ही नहीं रहा है कि वेणुगोपाल और जयराम रमेश जैसे लोग पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं।

शशि थरूर जैसा विद्वान और अंतर्राष्ट्रीय मामलों का विशेषज्ञ नेता पार्टी की संपत्ति हैं, लेकिन राहुल गांधी अपनी ही दुनिया में खुश हैं और जो कुछ भी हो रहा है, उसी में संतुष्ट हैं। और इसी बीच भाजपा हरसंभव कोशिश कर रही है कि शशि थरूर को अपने पाले में ले सके।

से दावा रहा है कि भारत में दुनिया की सबसे ऊँची टैरिफ प्रणालियाँ हैं।

भारत अमेरिका को फार्मास्यूटिकल्स (औषधियाँ) का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। वहीं, भारत अमेरिका से विमान और उच्च मूल्य वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे उच्च श्रेणी के उत्पाद खरीदता है।

वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनेगा

मथुरा, 15 मई। वृंदावन के बांके

बिहारी मंदिर कॉरिडोर का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने यूपी सरकार को मंदिर के 500 करोड़ रुपये से कॉरिडोर के लिए मंदिर के पास 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की इजाजत दी है। अदालत ने शर्त लगाई कि अधिग्रहित भूमि देवता के नाम पर पंजीकृत होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश की सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित किया। हाईकोर्ट ने मंदिर के आसपास की भूमि को अपने धन का उपयोग करके खरीदने पर रोक लगा दी थी।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ ने कॉरिडोर के लिए राज्य सरकार की 500 करोड़ रुपये की विकास योजना की जांच करने के बाद, बांके बिहारी मंदिर की सावधि जमा राशि के उपयोग की अनुमति दे दी।

भरोसे की सच्ची मिसाल!

TRUE VALUE के साथ जुड़ चुके हैं 50 लाख हैप्पी करस्टमर्स.

CELEBRATING **50 LAKH+** HAPPY FAMILIES

अपनी कार बेचने/खरीदने के लिए स्कैन करें

376 क्वालिटी चेक पॉइंट्स

वेरिफाइड कार हिस्ट्री*

1 साल तक की वारंटी और 3 फ्री सर्विस*

पूछताछ के लिए कॉल करें 1800 102 1800 | या जाएँ यहाँ www.marutisuzukitruevalue.com

*नियम और शर्तें लागू। Verified Car History और Warranty केवल True Value प्रमाणित कारों पर लागू। निःशुल्क सेवा केवल श्रम शुल्क पर लागू है। वाहन पर काला शीशा प्रकाश प्रभाव के कारण होता है।

JAIPUR: SECTOR-35,PRATAP NAGER,TONK ROAD,JAIPUR, SANGA AUTONATION PVT LTD.: 9057809180, 7734909000, 7734901000 | PADMAWATI COLONY- II, OPPOSITE METRO PILLAR NO 25, MANSAROVER METRO STATION JAIPUR, VIPUL MOTORS PVT. LTD.: 9829351470, 9509157505, 9351044999 | E-101, ROAD NO. 8, VKIA AREA, JAIPUR, PREM MOTORS: 8058794068, 8058791634, 8058794091 | E-197(A), RIICO INDUSTRIAL AREA, MANSAROVAR, JAIPUR, KP AUTOMOTIVE: 9116190342, 9116190346 | B 1 GOVIND MARG, RAJAPARK OPP. PINK SQUARE MALL, KP AUTOMOTIVE: 9549650533, 9116190344 | A-209, RAJENDRA PRASAD NAGAR, 200FT BYPASS, AJMER ROAD, JAIPUR, SATNAM MOTOCORP. 7413900007, 7413900009, 7821823626 | 13 JHOTWARA INDUSTRIAL AREA, NEAR JHOTWARA POLICE STATION, JAIPUR, KTL: 7412068475, 9209056789.